न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 18 / 2021

1 अमरसिंह पुत्र प्रभूदान सिंह।
2 मदनसिंह पुत्र प्रभूदान सिंह।
3 ओमप्रकाश पुत्र हनुमान समस्त जाति राजपूत निवासीगण चिंचड़ोली तन भड़ौन्दा खुर्द तहसील व जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

1 मेघसिंह पुत्र रणजीत सिंह जाति राजपूत निवासी चिंचडोली तन इण्डाली तहसील व जिला झुंझुनू।
2 ताराचन्द पुत्र प्रभू।
3 सुखी पत्नी हनुमान समस्त जाति राजपूत निवासीगण कारी तन चिंचड़ोली तन भड़ौन्दा खुर्द तहसील व जिला झुंझुनू।
4 राजस्थान सरकार लैण्ड लोल्डर जरिये तहसीलदार झुंझुनू।
5 रामनिवास पुत्र हनुमान जाति राजपूत निवासीगण कारी तन भड़ोन्दा खुर्द तहसील व जिला झुंझुनू।

रेस्पोडेंट

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 19 सीपीसी
बाबत पुनः नम्बर पर लिये जाने अपील संख्या 08 / 2016
बउनवानी अमरसिंह बनाम मेघसिंह अपील अन्तर्गत धारा
225 आर.टी.एक्ट तारिख निर्णय 25.05.2016।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

उपस्थिति :

1. श्री सुरेन्द्र सिंह किशनावत, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री अली शेर खान, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

—निर्णय—

दिनांकः— 02.03.2022

यह आवेदन इस न्यायालय द्वारा अपील संख्या 08/2016 में पारित निर्णय दिनांक 25.05.2016 के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि आवेदकगण/अपीलान्टस द्वारा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनूं द्वारा मुकदमा उनवनी मेघसिंह बनाम अमर सिंह अः धारा 251 आर.टी. एक्ट में पारित निर्णय दिनांक 07.09.2015 के विरूद्ध माननीय न्यायालय मे अपील उनवानी अमर सिंह वगैरह बनाम मेघसिंह वगैरह मु.न. 08.2016 दायर की थी जिसमे अपीलान्टस द्वारा जरिये वकील पैरवी की जा रही थी उक्त अपील मे आवेदकगण/अपीलान्टस के अधिवक्ता द्वारा बिना किसी निर्देश के अपीलान्टस के सूचित किये बिना ही माननीय न्यायालय के समक्ष पत्रावली पर "हिदायत पैरवी नही होना" अंकित कर अपीलान्टस की ओर से माननीय न्यायालय के समक्ष नियत तारीख पेशी पर उपस्थित नही आये इस कारण माननीय न्यायालय द्वारा अपीलान्टस द्वारा प्रस्तुत अपील को अदम हाजरी व अदम पैरवी मे दिनांक 25.05.2016 को खारिज कर दिया गया जिसकी बाबत आवेदकगण/अपीलान्टस को पूर्व में कोई जानकारी नही थी अपीलान्टस को उक्त आदेश की जानकारी होते ही आदेश दिनांक 25.05.2016 से व्यथित होकर यह आवेदन धारा 5 के साथ प्रस्तुत किया गया।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि प्रस्तुत प्रकरण में विचारणीय तथ्य यह है कि अपील की आदेशिका दिनांक 12.05.2016 को अपीलांट के वकील द्वारा हिदायत पैरवी नहीं होना कथन कर आदेशिका पर हस्ताक्षर किये गये है। अपीलांट को ऐसी स्थिति में विधि अनुसार न्यायालय के माध्यम से नोटिस जारी किये जाने चाहिए थे। ऐसा नहीं कर विचाराधीन आदेश से अपील अपीलांट अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज कर दी गई। यह विधिक त्रुटि है। न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुए धारा 5 का आवेदन स्वीकार कर आवेदन प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को कंडोन किया जाकर अपील पुनः नम्बर पर लेने के आदेश प्रदान करें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.05.2016 के विरूद्ध दिनांक 29.09.2021 को लगभग 5 साल की देरी से प्रस्तुत किया गया है। अपीलांट द्वारा इस देरी का युक्तिसंगत एवं दिनप्रतिदिन का कारण अंकित नहीं किया गया है। बिना किसी साक्ष्य के अपीलांट का कथन स्वीकार योग्य नहीं है कि उन्हें विचाराधीन आदेश की जानकारी नहीं थी। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन मय हर्जे के खारिज किया जावें। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आर एल डब्ल्यू 2021 (3) पेज 1956 का न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। प्रस्तुत प्रकरण में विचारणीय तथ्य यह है कि अपील की आदेशिका दिनांक 12.05.2016 को अपीलांट के वकील द्वारा हिदायत पैरवी नहीं होना कथन कर आदेशिका पर हस्ताक्षर किये गये है। अपीलांट को ऐसी स्थिति में विधि अनुसार न्यायालय के माध्यम से नोटिस जारी किये जाने चाहिए थे। ऐसा नहीं कर विचाराधीन आदेश से अपील अपीलांट अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज कर विधिक त्रुटि की गई है। न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुए अपीलांट के द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 5 स्वीकार किया जाता है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन वाजदायरी स्वीकार किया जाकर अपील अमरसिंह बनाम मेघसिंह को पुनः नम्बर पर लेने के आदेश दिये जाते है।

निर्णय आज दिनांक 02.03.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर